आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

म्यूनिसिपल म्यूटेशन अपील वाद सं०-195/2024

रणविजय प्रताप सिंह, पिता–अमरेन्द्र कुमार सिंह।

बनाम्

नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

वादी की तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज रंजन सिन्हा एवं संजय कुमार सिंह।

प्रतिवादी के तरफ से :– विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
01.11.2024 **06.11.2024**	**प्रस्तुत म्यूनिसिपल म्यूटेशन अपीलवाद नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम द्वारा वाद सं०–103 / 2023–24 में दिनांक–29.12.2023 को** पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। **विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024** जिसकी अधिसूचना दिनांक–23.07.2024 को प्रकाशित है, के कंडिका 10 (i) द्वारा कंडिका–143 (1) में संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया गया है कि **"अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा नगर निगम के मामले में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत के मामले में संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।"** **विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि** "बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024, दिनांक–23.07.2024 को प्रभाव में आया है तथा उक्त विधेयक की कंडिका–1 (3) में स्पष्ट किया गया है कि **"यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।"** जबकि अपीलकर्त्ता द्वारा इस संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने से पूर्व, नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम के द्वारा पारित आदेश दिनांक–03.01.2024 को अब इस न्यायालय के समक्ष दिनांक–22.10.2024 को चुनौती दी गयी है। नियम–143 में एक माह (30 दिन)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

में ही पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर करने का प्रावधान है। अपीलवाद दायर करने की नियत अवधि के 06 माह बाद नया संशोधन आया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विधेयक का कोई भूतलक्षी (Retro spective) प्रभाव नहीं है। ऐसे में उक्त विधेयक के प्रभाव में आने से पूर्व के मामलें, जिसमें नियमानुसार अपीलवाद दायर करने की भी समय–सीमा समाप्त हो चुकी है, के विरूद्ध इस स्तर पर अपीलवाद दायर किया जाना नियमानुकुल नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत वाद को ग्रहण के बिन्दु पर **अस्वीकृत** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL